ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर (छ.ग.)

/ / निविदा आमंत्रण / /

क्र./2215/वाहन–निविदा/2017–18/TPSIPRD   निमोरा, रायपुर, दिनांक17/10/2017

संस्थान में ए.सी./नॉन ए.सी. किराये की बसें उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत ट्रेवलिंग एजेंसी/प्रतिष्ठानों/व्यक्तियों से वर्ष 2017–18 के लिये मुहरबंद निविदाऐं **दिनॉक 31/10/2017 दोपहर 03.00 बजे** तक विशेष वाहक अथवा डाक से, जो दिनांक 31.10.2017 तक निर्धारित अवधि में प्राप्त हो जानी चाहिए, आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 500/– है, जो संचालक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान के नाम से देय होगा एवं यह राशि वापसी योग्य नही होगी।

निविदा दो अलग–अलग सील बंद लिफाफों (तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा)में भरी जायेगी जिन्हें एक अलग आवरण लिफाफे में रख कर मुहरबंद किया जायेगा।

तकनीकी निविदा का लिफाफा में रखें

(1) सुरक्षा निधि रू. 50,000/– (पचास हजार रूपये मात्र) का ड्राफ्ट संचालक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर के नाम देय होगा। अगर ई–मेल भेजकर निविदा प्रपत्र प्राप्त किये गये है तो रू. 500/– का ड्राफ्ट अलग से भेजना होगा।

(2) प्रपत्र – अ की पूर्ण एवं स्पष्ट जानकारी

(3) शपथ पत्र।

वित्तीय निविदा का लिफाफा में रखे

1. प्रपत्र–ब वित्तीय निविदा (दर)

वेंडर द्वारा प्रस्तुत दर में शासन को देय समस्त कर शामिल कर निविदा प्रस्तुत किया जावे

समय सारणी –

निविदा प्रपत्र बिक्री प्रारंभ की तिथि/समय	दिनांक 18.10.2017 से 31.10.2017 तक दोपहर 02:00 बजे तक
निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि	31.10.2017 समय दोपहर 3.00 बजे
निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि	31.10.2017 समय दोपहर 4.00 बजे

अपरिहार्य कारणवश निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि व समय में परिवर्तन कर सकने का अधिकार संचालक के पास सुरक्षित रहेगा लेकिन इसकी सूचना निविदाकार को भी यथासमय दी जावेगी।

D:\OS SIR DATA\Tender all files\Vahan Tender 2017\Moter Taxi.docx

निविदा की पात्रता एवं शर्ते

1. जो निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी, वह नहीं खोली जाएगी तथा वापस लौटा दी जाएगी।

2. निविदा जमा करने का तात्पर्य यह लगाया जायेगा, कि निविदाकार को संस्थान की सभी शर्ते मंजूर है। निविदाकार की ओर से निविदा प्रपत्र में लिखी शर्ते मान्य नहीं होगी।विशेष परिस्थिति में, निविदा/कार्य की शर्तों को शिथिल किये जाने का अधिकार संस्थान के संचालक के पास सुरक्षित होगा।

3. निविदा प्रपत्र का कोई भी कालम खाली न छोडा जावें, अन्यथा निविदा निरस्त की जा सकेगी। जहां कहीं काट–छाट हो, उसका सत्यापन निविदाकार द्वारा अपना लघु हस्ताक्षर करके किया जावे। वित्तीय निविदा में राशि अंक तथा शब्द दोनों में लिखी जावे। जहां अंक एवं शब्द में अंतर हो वहां शब्द में लिखी राशि को मान्य किया जावेगा।

4. शासन द्वारा निषिद्ध अथवा अपात्र घोषित वेंडर, संस्थान में बीच में ही कार्य छोड़ कर चले जाने वाले अथवा कार्य प्रारंभ न करने वाले वेंडर, किसी न्यायालय में जिनके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण लंबित हो अथवा विगत 03 वर्षों में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो ऐसे वेंडर की निविदा विचार योग्य नहीं होगी।

6. दो या दो से अधिक निविदाकार की निविदा दर एक समान होने की स्थिति में न्यूनतम निविदा का चयन, निविदाकार के शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में कार्यानुभव एवं गुणवत्ता के आधार पर किया जायेगा।

7. बिना कारण बताये निविदा स्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार संचालक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर का होगा।

नियम व शर्तें

1. निविदा स्वीकृत होने के 15 दिनों के भीतर संचालक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा के साथ 100 रूपये के गैर–अदालती स्टाम्प पेपर में अनुबंध निष्पादित करना होगा एवं रूपये 50,000 हजार रूपये की प्रतिभूति राषि जमा करनी होगी।
2. अनुबंध की अवधि अनुबंध करने की तिथि से एक वर्ष की होगी, जिसे दोनो पक्ष आपसी सहमति से 06 माह और बढ़ा सकेंगे। इस बढ़ी हुई अवधि मे अनुबंध की दर एवं शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।
3. निविदाकार द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली बसों का पंजीयन, परमिट तथा फिट होना आवश्यक है।
4. प्रतिदिन किराया दर में वाहन 100 कि.मी तथा प्रति अर्द्ध दिवस 50 कि.मी चलित सम्मिलित है जिसमें पेट्रोल /डीजल वाहन मालिक द्वारा देय होगा।
5. प्रतिमाह किराया दर में वाहन 2500 कि.मी. चलित सम्मिलित है जिसमें पेट्रोल/डीजल वाहन मालिक द्वारा देय होगा।
6. वाहन प्रतिदिन दर में 100 कि.मी. प्रति अर्द्ध दिवस किराया दर में 50 कि.मी. या प्रतिमाह दर में 2500 कि.मी. चलने के उपरांत प्रति कि.मी. न्यूनतम मान्य दर से भुगतान किया जावेगा जिसमें पेट्रोल/डीजन वाहन मालिक द्वारा देय होगा।
7. वाहन मुख्यालय पर रहने एवं मुख्यालय से बाहर जाने पर कोई अतिरिक्त भार देय नही होगा। वास्तविक परिचालन का ही भुगतान होगा।
8. वाहन के समस्त कागजात परिवहन विभाग के नियमानुसार होना अनिवार्य होगा। वाहन का रोड टैक्स/बीमा/सेवा एवं अन्य सभी प्रकार के शुल्क आदि का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जावेगा। वाहन का रोड टैक्स व बीमा (कम्प्रेहेन्सिव) अद्यतन होना चाहिये।
9. वाहन चालक का व्यय संबंधित वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन चालक अवकाष या अस्वस्थ होने पर वाहन मालिक को तत्काल दूसरे अर्हता–प्राप्त वाहन चालक की व्यवस्था करना होगा। यदि विभाग द्वारा वाहन चालक की व्यवस्था की जावेगी तो उसका भुगतान राषि वाहन मालिक को देय बिल से काट कर दी जायेगी एवं समस्त जवाबदारी वाहन मालिक की होगी। वाहन चालक डयूटी के समय वर्दी में रहेगा।
10. वाहन की मरम्मत रख–रखाव एवं समस्त अन्य खर्चे वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन खराब होने पर मरम्मत, रख–रखाव हेतु तथा मालिक द्वारा वाहन वापस लिये जाने की

स्थिति में मालिक द्वारा दूसरा वाहन की व्यवस्था करनी होगी। यदि विभाग द्वारा यह व्यवस्था की जाती है तो व्यय पूर्ति का दायित्व वाहन मालिक की होगी।

11. वाहन पर यथाआवश्यकता सायरन एवं राष्ट्रीय ध्वज की व्यवस्था वाहन मालिक को करना होगा।

12. किराये पर लिये गये वाहन अच्छी स्थिति में नहीं पाये जाने अथवा 03 वर्ष से अधिक पूराना पाये जाने पर तत्काल हटा दिया जायेगा एवं देयक का भुगतान रोक दिया जावेगा।

13. वाहन की लाग बुक/लाग कार्ड प्रतिदिन अनिवार्य रूप से वाहन चालक को नियमानुसार भरना होगा एवं संबंधित अधिकारी से प्रतिदिन हस्ताक्षर लिया जाना होगा व उक्त लाग बुक/लाग कार्ड मूलतः कार्यालय में देयक के साथ जमा करना होगा जो कि शासकीय अभिलेख होगा।

14. देयक तीन प्रतियों में लागबुक/लागकार्ड के साथ वाहन छोडने के एक सप्ताह के भीतर अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। देयक का भुगतान संभावित अवधि में चेक के माध्यम से किया जायेगा। वाहन मालिक अन्य टैक्स/आयकर/सेवा शुल्क/टोल टेक्स आदि भुगतान के लिये स्वयं जिम्मेदार होगा।

15. वाहन रखने की अवधि का निर्धारण करने का अधिकार संचालक, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा का होगा। उनके द्वारा वाहन अनुबंध को 15 दिन पूर्व सूचना दिया जाकर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकेगा व वाहन मालिक द्वारा भी 15 दिन पूर्व सूचना पर अपना वाहन हटाने का विकल्प होगा।

16. शर्तों का उल्लंघन करने पर वाहन को हटा दिया जायेगा एवं वाहन का किराया भी देय नहीं होगा।

17. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निराकरण संचालक, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा द्वारा किया जावेगा, तथा उसकी सीमा क्षेत्र रायपुर छ.ग. होगा।

18. निविदाकर्ता के पास स्वयं के कम से कम पांच वाहन होना अनिवार्य है। वाहन वर्ष 2014 या उसके बाद के क्रय किया गया हो। इन वाहनों के पंजीयन संबंधित समस्त आवष्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपि संलग्न किया जावें।

19. न्यूनतम निर्धारित दरों पर वाहन किसी भी एजेंसी से लेने का अधिकार संबंधित विभाग का रहेगा।

D:\OS SIR DATA\Tender all files\Vahan Tender 2017\Moter Taxi.docx

ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा रायपुर (छ.ग.)
संस्थान में किराये की बसें उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत ट्रेवलिंग
एजेंसी/प्रतिष्ठानों/व्यक्तियों से वर्ष 2017-18

// तकनीकी निविदा प्रपत्र//

1. निविदाकार का नाम/पिता का नाम एवं : ....
   पूरा पता दूरभाष क्र./मोबाईल क्र./फैक्स नं. : ....
   : ....
2. ट्रेव्हलिंग कार्य का जीवित पंजीयन क्र. : ....
   जब से कार्यरत् है उसका वर्ष : ....
3. निविदाकार के पास उपलब्ध वाहनों का प्रकार एवं संख्या : ....
4. उपलब्ध बसों का /व्यावसायिक के रूप में जीवित : ....
   पंजीयन क्रमांक (आर.सी.की फोटोकॉपी संलग्न करें) : ....
5. आयकर का जीवित पंजीयन एवं पेन नम्बर : ....
   (छायाप्रति संलग्न करें)
6. सर्विस टेक्स पंजीयन क्रमांक : ....
   (छायाप्रति संलग्न करें)
7. विगत 03 वर्षों का रोड टैक्स सर्विस टैक्स और इंकम : ....
   टैक्स जमा करने का ब्यौरा (छायाप्रति संलग्न करें)
8. शासकीय/अर्द्धशासकीय/स्वायत्तशासी संस्थान में : ....
   विगत 03 वर्षों में कार्य किये जाने का अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. अमानत राषि (रू. 50,000) डी.डी/एफ.डी.आर.क्रमांक: ....

हस्ताक्षर
नाम तथा सील अंकित करते हुये

D:\OS SIR DATA\Tender all files\Vahan Tender 2017\Mo:er Taxi.docx

ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा रायपुर (छ.ग.)

संस्थान में किराये की बसें उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत ट्रेवलिंग एजेंसी / प्रतिष्ठानों / व्यक्तियों से वर्ष 2017–18

// वित्तीय निविदा प्रपत्र (निविदत्त दर) //

क्र.	वाहन समूह	AC				Non AC			
		किराया आधा दिन 6 घंटे 50 कि.मी.	किराया प्रतिदिन 100 कि.मी.	किराया प्रतिमाह	अतिरिक्त किराया दर प्रति कि.मी.	किराया आधा दिन 6 घंटे 50 कि.मी.	किराया प्रतिदिन 100 कि.मी.	किराया प्रतिमाह	अतिरिक्त किराया दर प्रति कि.मी.
1	लग्जरी बसें								
2	20 सीटर								
3	35 सीटर								
4	40 सीटर								
5	52 सीटर								

हस्ताक्षर निविदाकार

D:\OS SIR DATA\Tender all files\Vahan Tender 2017\Moter Taxi.docx

//शपथ पत्र//

मैं .... पिता .... उम्र ....वर्ष निवासी .... जिला .... राज्य ....

शपथपूर्वक कथन करता हूं कि ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर को वर्ष 2017–18 में किराये की बसें उपलब्ध कराने हेतु मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में जो जानकारी दी गई है, वह मेरे विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सही है। मेरे द्वारा दी गयी जानकारी जॉच में यदि असत्य पायी जाती है, तो संचालक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा द्वारा, मेरी निविदा निरस्त किये जाने अथवा मेरी जमानत की सम्पूर्ण राशि अधिग्रहित किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नही होगी।

हस्ताक्षर निविदाकर्त्ता